



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082026-275404
CG-DL-E-12082026-275404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4287]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2026/श्रावण 21, 1948

No. 4287]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2026/SHRAVAN 21, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

का.आ. 4465(अ).— केन्द्र सरकार के पूर्व के अनुमोदन से, महानिदेशक, तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 34 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेशित करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1), धारा 4, 5, 11, 12 और 13 के अंतर्गत एतद्वारा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य कोई शक्ति या प्राधिकार का समुद्री प्रशासन महानिदेशालय की नौवहन विकास शाखा के प्रभारी उप महानिदेशक या वरिष्ठ उप महानिदेशक द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा।

[फा. सं. 15-17011/2/2026-एमएसएल-डीजीएस]

श्याम जगन्नाथन, महानिदेशक

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**ORDER**

New Delhi, the 12th August, 2026

S.O. 4465(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 34 of the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025), the Director-General with the previous approval of the Central Government, hereby directs that any power or authority exercisable by him under sub section (1) of section 3, sections 4, 5, 11, 12 and 13 of the said Act, shall also be exercised by the Deputy Director-General or the Senior Deputy Director-General in charge of Shipping Development branch of Directorate General of Maritime Administration.

[F. No. 15-17011/2/2026-MSL-DGS]

SHYAM JAGANNATHAN, Director-General